

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

आदेश

सं0-02/कर माफी-02/2015 परि0

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-332, दिनांक-25.04.2018 द्वारा कमांडेण्ट, 44वीं बटालियन, एस0एस0बी0, नरकटियागंज के आठ नये वाहनों के सड़क सुरक्षा उपकर सहित कुल कर की राशि ₹ 3,03,265.00/--(तीन लाख तीन हजार दो सौ पैंसठ रुपये मात्र) की विमुक्ति किये जाने हेतु कर की गणना कर उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Type of Vehicle	Engine Number	Chassis Number	Calculated Fee & Tax (in Rs.)	
1	TATA 407	4SPCR11KSY635842	MAT505301H8K21217	Road Tax & Fine RSF & Fine	10,100.00 87.00
2	TATA 407	4SPCR11KSY635577	MAT505301H8K21113	Road Tax & Fine RSF & Fine	10,100.00 87.00
3	44 SEATER BUS	CR16-64JSY109390	MAT373527H0K10425	Road Tax RSF & Fine	85,550.00 854.00
4	44 SEATER BUS	CR16-64JSY109241	MAT373527H0F05871	Road Tax & Fine RSF & Fine	85,550.00 854.00
5	TATA 53 STR POLICE BUS	81A844408335	MAT412313J0A00207	Road Tax RSF & Fine	69300.00 685.00
6	AMBULANCE PRESTIGE 2515	SLT44MU235462	MBUWEL4XMU0241959	Road Tax RSF & Fine	13250.00 116.00
7	AMBULANCE PRESTIGE 2515	SLT4MU235455	MBUWEL4XMU0241958	Road Tax RSF & Fine	13250.00 116.00
8	AMBULANCE PRESTIGE 2515	SLT4MU235757	MBUWEL4XMU0242285	Road Tax RSF & Fine	13250.00 116.00
TOTAL					3,03,265.00

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-332, दिनांक-25.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये कर गणना अभिलेख एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में कमांडेण्ट, 44वीं बटालियन, एस0एस0बी0, नरकटियागंज के आठ नये वाहनों के संगणित कुल कर ₹ 3,03,265.00/--(तीन लाख तीन हजार दो सौ पैंसठ रुपये मात्र) में से ₹ 3,00,350.00 (तीन लाख तीन सौ पचास रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित/
ई-मेल

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-02/2015

3872

पटना, दिनांक- 11/6/18

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/कमांडेण्ट, 44वीं बटालियन, एस0एस0बी0, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण-845455 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं०-02/कर माफी-02/2015 परि०

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-332, दिनांक-25.04.2018 द्वारा कमांडेण्ट, 44वीं बटालियन, एस0एस0बी0, नरकटियागंज के आठ नये वाहनों के सड़क सुरक्षा उपकर सहित कुल कर की राशि ₹ 3,03,265.00/- (तीन लाख तीन हजार दो सौ पैंसठ रुपये मात्र) की विमुक्ति किये जाने हेतु कर की गणना कर उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Type of Vehicle	Engine Number	Chassis Number	Calculated Fee & Tax (in Rs.)	
1	TATA 407	4SPCR11KSY635842	MAT505301H8K21217	Road Tax & Fine RSF & Fine	10,100.00 87.00
2	TATA 407	4SPCR11KSY635577	MAT505301H8K21113	Road Tax & Fine RSF & Fine	10,100.00 87.00
3	44 SEATER BUS	CR16-64JSY109390	MAT373527H0K10425	Road Tax RSF & Fine	85,550.00 854.00
4	44 SEATER BUS	CR16-64JSY109241	MAT373527H0F05871	Road Tax & Fine RSF & Fine	85,550.00 854.00
5	TATA 53 STR POLICE BUS	81A844408335	MAT412313J0A00207	Road Tax RSF & Fine	69300.00 685.00
6	AMBULANCE PRESTIGE 2515	SLT44MU235462	MBUWEL4XMU0241959	Road Tax RSF & Fine	13250.00 116.00
7	AMBULANCE PRESTIGE 2515	SLT4MU235455	MBUWEL4XMU0241958	Road Tax RSF & Fine	13250.00 116.00
8	AMBULANCE PRESTIGE 2515	SLT4MU235757	MBUWEL4XMU0242285	Road Tax RSF & Fine	13250.00 116.00
TOTAL					3,03,265.00

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-332, दिनांक-25.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये कर गणना अभिलेख एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में कमांडेण्ट, 44वीं बटालियन, एस0एस0बी0, नरकटियागंज के आठ नये वाहनों के संगणित कुल कर ₹ 3,03,265.00/- (तीन लाख तीन हजार दो सौ पैंसठ रुपये मात्र) में से ₹ 3,00,350.00 (तीन लाख तीन सौ पचास रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

निबंधित/
ई-मेल

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-02/2015

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/कमांडेण्ट, 44वीं बटालियन, एस0एस0बी0, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण-845455 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-02/2015

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3872
11/6/18

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।